कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय,नांदघाट
जिला–बेमेतरा (छ.ग)

College Code-208 **Email-govtcollegenandghat@gmail.com**

क्रमांक / 19 / स्था / अतिथि व्या.विज्ञापन / 2025 नांदघाट,दिनांक : 28 / 07 / 2025

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विस्तृत विज्ञापन

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक / 574 / 126 / आउशि / राज.स्था / 2024 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024 एवं छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क एफ–3–54 / 2020 / 38–1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 20 / 06 / 2024 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के पत्र कमांक / 289 / 01 / आउशि / राज.स्था / 2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23 / 07 / 2025 के अनुपालन में **शासकीय नवीन महाविद्यालय,नांदघाट जिला–बेमेतरा** में रिक्त सहायक प्राध्यापक / कीड़ाधिकारी पद के विरुद्व **सत्र 2025–26** के लिए निम्नलिखित विषयों में अध्यापन एवं खेलकूद गतिविधि हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हतधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक / कीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक **07 / 08 / 2025 सायं 05:00** बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :–

01– अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरुप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम **55 प्रतिशत** अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम **50 प्रतिशत** अंक होने चाहिए।

02– आयु सीमा–अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम **65** वर्ष तक।

03– छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय एवं पदों का विवरण

कमांक	विशय	रिक्त पद एवं संख्या	
		सहायक प्राध्यापक	कीडाधिकारी
01	अंग्रेजी	01	01
02	गणित	01	
03	भौतिक शास्त्र	01	
04	रसायन शास्त्र	01	
05	वनस्पति शास्त्र	01	
06	प्राणीशास्त्र	01	
	योग–	06	01

टीप :– संवंधित विषयों में नवीन नियुक्ति एवं नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरुप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

नियम एवं शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण–पत्र,10वीं,12वीं,स्नातक,स्नातकोत्तर,सेट,नेट,एम.फिल,पी.एच.डी.अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 07 / 08 / 2025 को संध्या 05:30 बजे तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथ्वा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है,प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुकम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की प्रकिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 13 / 08 / 2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व **अग्रणी महाविद्यालय पं.जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय,बेमेतरा** के वेबसाईट **govtpgcollegebemetara.com** पर प्रकाशित किया जावेगा।

05. गुणानुकम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि–16 / 08 / 2025 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18 / 08 / 2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय के सूचना पटल व **अग्रणी महाविद्यालय पं.जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय,बेमेतरा** के वेबसाईट पर किया जावेगा।

कमशः......02 पर

कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नवीन महाविद्यालय,नांदघाट
जिला–बेमेतरा (छ.ग)

College Code-208 Email-govtcollegenandghat@gmail.com

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का भापथ–पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय–सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

कं.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
01	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
02	चर कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41600/– प्रति माह अधिकतम)	1200/– (30000/– प्रति माह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
03	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
04	चर कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50000/– प्रति माह अधिकतम)	1400/– (35000/– प्रति माह अधिकतम)
(स) दैनिक मानदेय		**अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि कीड़ा अधिकारी**	**अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि कीड़ा सहायक**
05	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घण्टा कार्य अवधि)	1600/– प्रतिदिन (40000/– प्रति माह अधिकतम)	1200/– प्रतिदिन (30000/– प्रति माह अधिकतम)

11. आवेदन वंद लिफाफा के उपर पत्राचार का पता–**प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय,नांदघाट जिला–बेमेतरा पिन–491340** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रुप से लिखें।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगें।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत,यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन वनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य प्रवेश,परीक्षा,छात्रसंघ चुनाव,योजनाओं का संचालन,साहित्यिक कार्यकम,कीड़ा गतिविधियां,युवा उत्सव,आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन संवंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगें।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संवंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है,तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होगें।

(डॉ.नम्रता पाण्डेय)
प्रभारी प्राचार्य
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/ /स्था/अतिथि व्या.विज्ञापन/2025 नांदघाट,दिनांक : 28/07/2025

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक 3 द्वितीय एवं तृतीय तल,इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. क्षेत्रीय अपर संचालक,उच्च शिक्षा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर दुर्ग को सूचनार्थ।
03. प्राचार्य शासकीय ....महाविद्यालय को इस सूचना को सूचना पटल पर स्थान देने के अनुरोध सहित प्रेपित।
04. दैनिक समाचार पत्र .... को इस अनुरोध के साथ कि आप उक्त सूचना को अपने समाचार–पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
05. महाविद्यालय की सूचना पटल हेतु।

(डॉ.नम्रता पाण्डेय)
प्रभारी प्राचार्य
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय नांदघाट
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)